मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना/अ-1/195/3047 भोपाल, दिनांक 04/01/2024

-: आदेश :-

श्री हरीश कुमार वशिष्ठ, लेखापाल-प्रथम कृषि उपज मंडी समिति मन्दसौर जिला मन्दसौर को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू) उज्जैन द्वारा राशि रूपये 20,000/-रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के फलस्वरूप उनका आचरण व कृत्य सेवा विनियम के मानदंड के अनुरूप न होने से म. प्र. राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री हरीश कुमार वशिष्ठ, लेखापाल-प्रथम कृषि उपज मंडी समिति मन्दसौर जिला मन्दसौर का मुख्यालय म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा रहेगा। निलम्बन अवधि में म0प्र0 राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिसका भुगतान कृषि उपज मंडी समिति मन्दसौर जिला मन्दसौर से प्रतिमाह की 5 तारीख तक कार्यालय म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कायार्लय रीवा के प्रमाणीकरण के आधार पर देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

04/01/24
(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना/अ-1/195/ 3048 भोपाल, दिनांक 04/01/2024

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, (वि.जॉच) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल संबंधित के विरूद्व निर्धारित समयावधि मे आरोप पत्रादि जारी करें।
3. संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय उज्जैन/रीवा, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री हरीश कुमार वशिष्ठ लेखापाल-प्रथम कृषि उपज मंडी समिति मन्दसौर जिला मन्दसौर के विरूद्व 15 दिवस में आरोप पत्र इत्यादि तैयार कर अपर संचालक (विभागीय जॉच) मुख्यालय भोपाल को समयावधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति मन्दसौर जिला मन्दसौर ।
5. श्री हरीश कुमार वशिष्ठ लेखापाल-प्रथम (निलंबित) कृषि उपज मंडी समिति मन्दसौर जिला मन्दसौर की ओर पालनार्थ।
6. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जाँच/गो.च./ कम्प्यूटर शाखा मंडी बोर्ड भोपाल।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल